श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–13.05.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:15 बजे बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति–

1. श्री रजनीकांत, कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर।
2. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
3. श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।

कार्यवाही

सर्वप्रथम संयुक्त सचिव महोदय द्वारा कुलसचिव से बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तदोपरान्त निम्नलिखित कार्रवाई अभिलिखित की गई।

1. पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य व्यय

कुलसचिव द्वारा बताया गया कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के शैक्षणिक सत्र 2025–26 से खेल प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नामांकित होने वाले छात्रों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क एवं अन्य व्यय को प्रायोजित करने पर विभागीय सहमति का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा खिलाड़ी कल्याण कोष योजनान्तर्गत राशि देने हेतु मार्गदर्शिका में इसे समाहित करते हुए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

2. संविधि के संबंध में

संविधि की संचिका में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव/सचिव एवं कुलपति, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के साथ विमर्श का परामर्श दिया गया है। इस संबंध में आज की बैठक में कुलसचिव महोदय को अवगत कराया गया है। कुलसचिव द्वारा बताया गया कि वह स्वयं कुलपति महोदय के संज्ञान में तथ्य को लाया जाएगा।

19.05.26

3. **कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय** द्वारा बिजली उपकरण इत्यादि के रख–रखाव हेतु एजेंसी रखने का अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त से संबंधित निविदा का प्रकाशन किया जा चुका है। सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर को विभाग के स्तर से निदेशित किया जाय कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के कार्यों यथा– जैनरेटर, डीजल, बिजली उपकरण, मानव बल इत्यादि को भी समाहित कर चयनित एजेंसियों के द्वारा हीं अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।

संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा सहायक निदेशक को यह भी निदेश दिया गया कि **AC** की जॉच कराते हुए इसे अविलम्ब शुरू करायेंगे।

4. **विश्वविद्यालय के भवन एवं छात्रावास के निर्माण के संबंध में।**

कुलसचिव द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के लिए भवन निर्माण, बालक/बालिकाओं का हॉस्टल निर्माण, एकेडमी भवन, स्टाफ क्वार्टर निर्माण एवं अन्य निर्माण हेतु 10 एकड भूमि के अधिग्रहण/उपलब्धता के संबंध में भवदीय को अवगत कराया गया।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव द्वारा कुलसचिव को स्पष्ट प्रस्ताव आवश्यकतानुसार तैयार करने तथा चिन्हित जमीन बियाडा का लैंड बैंक अथवा बाहरी भूमि है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, नालंदा से पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु पुनः स्मार पत्र भेजने का निदेश दिया गया। तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भवन निर्माण निगम लि0, पटना को पत्र भेजने एवं राशि की उपलब्धता इस वित्तीय वर्ष से कराये जाने का निदेश दिया गया।

5. **एकेडमी हॉल के उपयोग हेतु अनुमति के संबंध में**

कुलसचिव द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम के अंतर्गत एकेडमी के छात्रावास एवं भवन के उपयोग की अनुमति प्रदान करने का हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया।

इस से संबंधित संचिका उपस्थापित करने का निदेश प्रशाखा पदाधिकारी को दिया गया है।

6. **अगले सत्र हेतु छात्र/छात्राओं के लिए अतिरिक्त कमरा आवंटित करने के संबंध में।**

उपर्युक्त के संबंध में सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर द्वारा बताया गया कि पूर्व से 20 कमरा विश्वविद्यालय को आवंटित किया गया था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतियोगिता होने के दौरान कमरे के कमी का उल्लेख किया गया।

पूर्व में सचिव द्वारा 20 कमरा अतिरिक्त आवंटित करने साथ हीं कुलसचिव को विश्वविद्यालय के प्रांगण के अतिरिक्त व्यवस्था रखने का निदेश दिया गया था।

7. **पी0जी0/बी0ई0एस0 एवं अन्य पाठ्यक्रम शुरू करने के संबंध में।**

उपर्युक्त के संबंध में कुलसचिव द्वारा बताया गया कि नये पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। इस हेतु अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता बताया गया ताकि ससमय पाठ्यक्रम शुरू किया जा सके।

उपर्युक्त के संबंध में संयुक्त सचिव, खेल विभाग द्वारा कुलसचिव महोदय को विस्तृत कार्य–योजना प्रस्ताव देने हेतु सुझाव दिया गया।

8. **कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा** शैक्षणिक सत्र 2026–27 में 4 वर्षीय NPES एवं 1 वर्षीय PGDSC पाठ्यक्रमों में नामांकित होने वाले छात्रों के आवासन/भोजन एवं परिवाहन हेतु राशि उपलब्ध कराने के संबंध में विभागीय सहमति की अपेक्षा की गई है।

संयुक्त सचिव द्वारा संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

9. **कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा** सहायक अनुदान वेतन एवं गैर वेतन में राशि उपलब्ध कराने हेतु पत्र देते हुए अनुरोध किया गया।

प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा चुका है। आवंटनादेश हेतु संचिका उपस्थापित है।

10. **कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय द्वारा** विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026–27 के दौरान खेल परिसर के बाहर आवासित पुरूष विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में आने–जोन हेतु दो टेम्पो ट्रेवलर उपलब्ध कराने हेतु पत्र देते हुए अनुरोध किया गया।

बजट उपलब्धता के पश्चात कार्रवाई की जायेगी।

अगली बैठक दिनांक–10.06.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 10.15 बजे निर्धारित की जाती है।

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

15/05/26

(निरंजन कुमार)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–1793 पटना, दिनांक–15.5/2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, खेल विभाग, बिहार, पटना/ कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण निगम लि0, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, खेल विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी/सहायक निदेशक, राज्य खेल अकादमी, राजगीर/सहायक निदेशक (युवा)/संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 मैनेजर, खेल विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

15/05/26

संयुक्त सचिव।

14.05.26